फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर

वादी : नवलराम बनाम प्रतिवादी : उमा

किस्म मुकदमा : वाद प्रकरण संख्या : 43/19

दिनांकः 12.08.2024

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता अनुपस्थित।प्रकरण प्रतिवादीगण की तामिल हेतु काफी समय से लम्बित है। वादी द्वारा तामिल हेतु काफी समय से पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद सम्मन पेश नहीं है। आज दिनांक को भी सम्मन पेश नहीं किए गए ना ही पैरवी हेतु उपस्थित हुए।

न्यायालय द्वारा रूक रूक कर तीन बार आवाज लगवाई गई, किन्तु उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए ना ही न्यायालय समय के अन्त तक उपस्थित हुए। जिससे जाहिर होता है कि वादी अपने वाद एवम् प्रतिवादी अपने प्रतिवाद के प्रति गंभीर नहीं है एवम् उक्त वाद में प्रभावी पैरवी नहीं करना चाहता है।

अतः वादी का वाद एवं प्रतिवादी का प्रतिवाद आदेश 9 नियम 8 के अर्न्तगत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर फा.ट्रै.
गिर्वा–उदयपुर